न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर
पीठासीन अधिकारीः— जय प्रकाश, आर.ए.एस

पत्रावली संख्याः— 04/2017/निगरानी

रामावतार पुत्र श्री चुन्नीलाल जाति शर्मा ब्राहम्ण निवासी ग्राम नरोदड़ा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

निगरानीकर्ता

बनाम

1 ग्राम पंचायत नरोदड़ा जरिये सरपंच
2 बसन्त कुमार ख्यालिया पुत्र देवेन्द्र कुमार जाति जाट निवासी ग्राम नरोदड़ा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

गैर निगरानीकर्तागण

निगरानी विरूद्व पट्टा संख्या 41 दिनांक 5.9.2014 द्वारा ग्राम पंचायत नरोदड़ा

वकील प्रार्थी श्री सज्जन सिंह कविया
वकील अप्रार्थी श्री राजेन्द्र कुमार मातवा

निर्णय **दिनांकः—28.03.2018**

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम नरोदड़ा में रेस्पोडेंट 2 के पिता देवेन्द्र कुमार ने सार्वजनिक चौक व आम रास्ते की भूमि पर पहले गैर कानूनी रूप से अतिक्रमण कर निगरानीकर्ता के नोहरे में आवागमन का रास्ता जो उक्त सार्वजनिक चौक में खुलता था, को जबरन बंद कर दिया। जिसके सम्बन्ध में निगरानीकर्ता ने अधिनस्थ ग्राम पंचायत नरोदड़ा तहसीलदार लक्ष्मणगढ़, उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़, विकास अधिकारी लक्ष्मणगढ़, जिला कलक्टर सीकर को भी इस बाबत शिकायत करने पर निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत किये गये आवेदन एवं शिकायत करने पर उक्त अधिकारियों द्वारा समुचित जांच करवाने पर रिपोर्ट में गैर निगरानीकर्ता एवं उसके पिता का अतिक्रमण मान्य होने पर दिनांक 2.2.2008 को उक्त अतिक्रमण हटवाकर रास्ता खुलवाने का आदेश विकास अधिकारी पंचायत समिति लक्ष्मणगढ़ द्वारा किया गया। उक्त आदेश होने के बावजुद एवं अधिनस्थ ग्राम पंचायत नरोदड़ा ने गैर निगरानीकर्ता के पिता द्वारा किये गये अतिक्रमण को हटवाकर निगरानीकर्ता का रास्ता खुलवाने की कार्यवाही विचाराधीन रहते हुए ग्राम पंचायत नरोदड़ा के सरपंच ने गैर कानूनी रूप से गैर निगरानीकर्ता संख्या 2 एवम् उसके पिता द्वारा किये गये अतिक्रमण पर पर्दा डालने के आशय से गैर कानूनी रूप से सार्वजनिक चौक एवम रास्ते की भूमि का एक पट्टा संख्या 41 दिनांक 5.9.2014 को जारी कर दिया गया। अधिनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा सार्वजनिक चौक एवम आम रास्ते की भूमि का पट्टा कानूनी प्रक्रिया को अनदेखा करते हुए मनमर्जी से जारी किया गया है। तत्कालीन जिला कलक्टर महोदय सीकर द्वारा तत्कालीन विशेषाधिकारी या उपाध्यक्ष अर्थिक नीति एवम सुधार परिषद राजस्थान सरकार श्री पी.एम.सैनी को उक्त अतिक्रमण के मामले में अपनी रिपोर्ट दिनांक 27.2.2008 को भेजी गई। उक्त रिपोर्ट में गैर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

नरोदड़ा तहसील लक्ष्मणगढ़ का है, जिसके ग्राम नरोदड़ा की गैर मुमकिन आबादी भूमि खसरा नम्बर 473 के आवासीय मकान एवम बाडा(नोहरा) स्थित है। आवासीय मकानों का रास्ता उत्तर में है तथा बाडा में आवागमन वर्णित आबादी भूमि में से भी होकर करता था, परन्तु उक्त रामावतार के आवासीय मकान एवं बाडे के दक्षिण पूर्व में स्थित खातेदारी भूमि आराजी खसरा नम्बर 472 के 2/3 हिस्से में खातेदार श्री देवेन्द्र सिंह पुत्र श्री भूराराम जाति जाट निवासी नरोदड़ा द्वारा अपनी खातेदारी भूमि की पश्चिम सीमा को आबादी भूमि खसरा नम्बर 473 में पडी खाली भूमि में बढ़कर दीवार आदि का निर्माण कर लिया। जिससे प्रार्थी रामावतार का रास्ता अवरूद्व हो गया। इस प्रकार से गैर सायल संख्या 2 एवमं उसके पिता द्वारा सार्वजनिक चौक एवम रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण कर निगरानीकर्ता का रास्ता गैर कानूनी रूप से बंद कर अवरूद्व करने का तथ्य पूर्णतया पुष्ट एवम प्रमाणित हाने के बावजुद अधिनस्थ ग्राम पंचायत सम्पूर्ण रूप से अतिक्रमियों के अतिक्रमण से वाकिया होकर एवम पूर्ण जानकारी होने के बावजुद उक्त पट्टा जारी किया गया है, जो निरस्त होने योग्य है। विकास अधिकारी पंचायत समिति लक्ष्मणगढ़ द्वारा गैर निगरानीकर्ता एवमं उसके पिता देवेन्द्र कुमार द्वारा किये गये सार्वजनिक चौक व रास्ते पर किये गये अतिक्रमण को हटाने हेतु अधिनस्थ ग्राम पंचायत नरोदड़ा को दिनांक 2.2.2008 को आदेश दिया। परंतु गैर निगरानीकर्ता संख्या 2 व उसके पिता को अतिक्रमण हटाने का आभास होने पर एक गलत वाद व स्टे आवेदन संख्या 12/2008 सिविल जज लक्ष्मणगढ़ में प्रस्तुत कर स्टे आदेश प्राप्त कर लिया। यह भी गौर योग्य है कि सिविल जज लक्ष्मणगढ़ के द्वारा पारित स्टे आदेश प्रभावी रहते हुए गैर कानूनी रूप से अधिनस्थ ग्राम पंचायत के सरपंच ने अनुचित व अन्यथा रूप से प्रभावित होकर उक्त पट्टा संख्या 41 गैर निगरानीकर्ता संख्या 2 के नाम कर दिया जो पट्टा गैर कानूनी व अवैध रूप से जारी किया गया है। गैरनिगरानीकर्ता संख्या 2 के पक्ष में पंचायत अधि0 के तहत जिस प्रावधान के अंतर्गत पट्टा जारी किया गया है। उक्त प्रावधान में कानूनन 50 वर्ष से अधिक का कब्जा होना आवश्यक है। कब्जा होना तो दूर की बात है बल्कि विवादित जमीन से अतिक्रमण हटाने को अनदेखाकर पट्टा जारी किया गया है। कानूनन पट्टा जारी करने से पूर्व एक माह का उजरदारी नोटिस जारी करने का कानूनी प्रावधान है। जिसको भी अनदेखा कर पट्टा जारी किया गया है, जो निरस्त होने योग्य है। अतः निगरानीकर्ता की निगरानी स्वीकार फरमायी जाकर अधिनस्थ ग्राम पंचायत नरोदड़ा द्वारा जारी पट्टा संख्या 41 दिनांक 05.09.2014 निरस्त फरमाया जावे।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी का कथन है कि ग्राम पंचायत नरोदड़ा द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी पट्टा पंचायत राज अधिनियम 1996 के नियम 157(1) के तहत जारी किया गया है जो गलत जारी किया गया है। पंचायत राज अधिनियम 1996 के नियम 157(1) के तहत कानूनी रूप से पट्टा तभी जारी किया जा सकता है जब आवेदनकर्ता उक्त भूमि पर 50 वर्षो से अधिक समय से मकान बनाकर काबिज हो। अतः ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 41 निरस्त होने योग्य है। अधिवक्ता अप्रार्थी का कथन है कि ग्राम पंचायत नरोदड़ा द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी पट्टे पंचायत राज अधिनियम 1996 की धारा 157(1) के नियमों को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया है। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अधिनस्थ ग्राम पंचायत नरोदड़ा से प्राप्त रिकार्ड का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा स्वयं का कदीमि कब्जा शुदा भूमि होने पर पट्टा जारी किये जाने हेतु ग्राम पंचायत नरोदड़ा के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया गया, उक्त आवेदन पर आवेदन प्रस्तुत करने की दिनांक का कोई उल्लेख नहीं है। ग्राम पंचायत द्वारा प्रार्थी का आवेदन प्राप्त होने पर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

तथा पट्टा जारी होने से यातायात अवरूद्व नहीं होता है तथा सुखाचार पर कुप्रभाव नहीं पड़ता है। आपत्ति जारी होने पर किसी ने आपत्ति नहीं पेश की है। पंचायत निर्णयानुसार प. अ. 1996 के नियम 157 के अन्तर्गत 2005 पट्टा फीस व 10 रूपये प्रतिगज से विकास शुल्क लेकर पट्टा जारी किया जावे।" पत्रावली पर उपलब्ध निरीक्षण रिपोर्ट पंचगण एक टाईपशुदा प्रपत्र पर किया गया है। न्यायालय सिविल न्यायाधीश लक्ष्मणगढ़ के समक्ष प्रार्थी बसन्त कुमार के पिता देवेन्द्र कुमार द्वारा वर्ष 2008 में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 के निर्णय दिनांक 15.12.2011 की सत्यप्रति के बिन्दु संख्या 2 का अवलोकन करने पर प्रार्थी के पिता द्वारा पट्टा स्थल भूमि को प्रार्थी के कब्जे शुदा, स्वामित्व वाली एक पैतृक आवासीय गुवाड़ी लिखा गया है। ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 41 पंचायत राज अधिनियम 1996 के नियम 157(1) के तहत जारी किया गया है। पंचायत राज अधिनियम 1996 के नियम 157(1) के अनुसार पुराने गृहों का विनियमितिकरण किया जाता है, जंहा व्यक्तियों के कब्जे में आबादी भूमि में पुराना गृह हों। व्यक्ति का 50 वर्ष से अधिक पुराना गृह/संनिर्माण हो, जबकि आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन में केवल मात्र स्वयं का कदीमि कब्जा शुदा भूमि होना अंकित किया हुआ है एवं ग्राम पंचायत की आदेशिका दिनांक 05.09.14 में प्रार्थी का उक्त भूमि पर पूर्वजो से कब्जा होना अंकित किया हुआ है। पूर्वजो से कब्जा एवं कब्जा शुदा भूमि होने के आधार पर पंचायत राज अधिनियम 1996 के नियम 157(1) के तहत पट्टा आवंटित नहीं किया जा सकता है। पत्रावली पर उपलब्ध नक्शा अनुसार पट्टा स्थल के दक्षिण दिशा में रास्ता आम रोड़ दर्शायी गई है जबकि ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टे में सड़क सीमा से कितनी दूरी को छोड़ते हुये पट्टा जारी किया गया है, का कोई उल्लेख नहीं है। ग्राम पंचायत द्वारा आक्षेप आमंत्रित करने हेतु जारी नोटिस में उक्त नोटिस को किसी सार्वजनिक स्थान पर चस्पा करने का कोई उल्लेख नहीं किया हुआ है। इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी करने से पूर्व विधिवत प्रकिया की पालना नहीं की गई है। निष्कर्षतः निगरानीकर्ता की निगरानी स्वीकार की जाती है एवं ग्राम पंचायत नरोदड़ा द्वारा जारी पट्टा संख्या 41 दिनांक 05.09.14 निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 28.03.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

28/3/18

(जय प्रकाश)
अति0 जिला कलक्टर, सीकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official